

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 27 अगस्त, 1997 (भाद्र 5, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री-

- (1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96; तथा
- (2) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95, पटल पर रखेंगे.

2. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री राधेश्याम शर्मा, सभापति, सदन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.
- (2) श्री भगवान सिंह यादव, सभापति, सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

3. शासकीय विधि विधायक कार्य

(1) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 31 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संघारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 32 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 33 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अध्यापक तथा उपाध्यापक तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधि द्वितीय संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 34 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित
समय
30 मि.

(5) श्री प्यारेलाल कंवर, उपमुख्य मंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 30 सन् 1997) को प्रवर समिति को सौंपा जाय.

1 घंटा

(6) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 31 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(7) श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संघारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 32 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित

समय

15 मि.

(8) श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 33 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि.

(9) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधि द्वितीय संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 34 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

4. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय के पर चर्चा

1 घन्टा

30 मि.

प्रदेश में हीरे की उपलब्धता, आकलन, उत्खनन एवं विक्रय के संबंध में सर्वश्री विक्रम वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठाएंगे.

भोपाल :
दिनांक 26 अगस्त, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा